न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–30/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/30)

1. गोपाल पुत्र श्री गोगा
2. कैलाश पुत्र श्री गोगा
3. बाबूलाल पुत्र श्री गोगा
   समस्त जाति धोबी निवासीगण–ग्राम कुरथल, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री रामकुमार जाति नायक निवासी–इन्द्रपुरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भीनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 57/2015

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गौतम टांक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः–08.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए। जिस पर प्रतिवादी द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया। वादी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए निर्णय दिनांक 2.11.2022 द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी, क्योंकि प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थीगण को यह आश्वासन दे रखा था कि तुम्हें हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होने पर सूचना देकर बुलवा लिया जायेगा। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अभिभाषक महोदय से हर तारीख पेशी पर सम्पर्क नहीं किया जाता था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में दिनांक 16.11.2022 को जब विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलमजाहमत उत्पन्न कर विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाने लगा, तब प्रार्थीगण ने जाकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिस पर अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 02.11.2022 को ही हो गया है तथा प्रार्थीगण को निर्णय के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कानूनी राय प्रदान की। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.11.2022 को निर्णय एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणितप्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 16.11.2022 को प्राप्त हुई। प्रकरण संबंधित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थीगण दिनांक 12.01.2023 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा इस विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया गया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद पत्र मे खातेदारी घोषणा किए जाने एवं प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का ही अनुतोष चाहा गया है, विक्रय पत्र को निरस्त किए जाने का कोई भी अनुतोष वाद पत्र में नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति मे वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय के पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मे निहित था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1995 को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं देने एवं राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं होने के आधार पर खारिज फरमा दिया। जो कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है। वादीगण मूल खातेदार श्री गोगा के वारिसान होकर विवादित आराजी में अपना हक व अधिकार रखते हैं क्योंकि विवादित आराजी पूर्व में श्री गोगा की खातेदारी में रही है जिसे राजस्व अधिकारियों द्वारा भूलवश व सहवन से श्री गोगा के नाम से हटा दिया गया है विवादित आराजी पैत्रक आराजी होने से वादी के हक व अधिकार विवादित आराजी में निहित है तथा गंगाराम पुत्र श्री रामकरण को विवादित आराजी बेचान करने का कतई कोई अधिकार नहीं था तथा किया गया बेचान वादी/अपीलांट के हक व अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य है। ऐसी स्थिति में वादी/अपीलांट को प्रभावशून्य विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देने की कतई कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर गौर किए बिना ही निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर समस्त आपत्ति उठाई जा सकती थी परन्तु प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो उक्त स्थिति में संधारण योग्य ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का क्षेत्र बहुत सीमित है, अधीनस्थ न्यायालय को वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद गुणावगुण पर निर्णित किए बिना सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उक्त प्रकरण में लागू नहीं होते है। क्योंकि उक्त प्रकरण किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। वादी/अपीलांट स्व0 गोगा के वारिस होकर उसके उत्तराधिकारी है तथा विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे चले आ रहे है, जिसे हेतु उन्हें खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है एवं उसका क्षेत्राधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय को ही प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा बिना विधिक अधिकार के एवं बिना कब्जे के विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है, जिसके आधार पर प्रतिवादी को विवादग्रस्त आराजी बाबत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त तथ्य पर पूर्ण विचारण किया जाना चाहिए था तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद–पत्र वर्णित आराजीयात के वर्किंग जमाबन्दी के खाता नम्बर 293 खसरा नम्बर 1492 मीन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी 03 के खातेदार काश्तकार श्री गंगाराम पुत्र श्री रामकरण जाति बागरिया निवासी चापांनेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर खातेदार काश्तकार द्वारा दिनांक 11.01.1995 को अप्रार्थी श्री महादेव पुत्र श्री रामकुँवार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा पंजीबद्व विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके विक्रय पत्र द्वारा बेचान की जा चूकी है तथा नामान्तरण संख्या 104 दिनांक 19.01.1996 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा राजस्व जमाबन्दी अभिलेख मे पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भी दर्ज किया जा चूका है तथा राजस्व जमाबन्दी में क्रेता श्री महादेव पुत्र श्री रामकुँवार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर मालिक है स्वामी है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी के खुद कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य मे लगातार अनवरत चली आ रही है। वाद–पत्र/प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1492 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय की आराजीयात का श्री महादेव पुत्र श्री रामकुँवार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा खातेदार काश्तकार श्री गंगाराम पुत्र श्री रामकरण जाति बागरिया निवासीचापोनरी तहसील भिनाय जिला अजमेर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा खरीद की जा चूकी है तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी/अप्रार्थी श्री महादेव पुत्र श्री रामकुँवार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर का नाम राजस्व जमाबन्दी अभिलेख मे इन्द्राज दर्ज किया गया प्रतिवादी/प्रार्थी श्री महादेव पुत्र श्री रामकुँवार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर की आराजीयात से वादीगण/प्रार्थीगण का कोई व किसी भी प्रकार का सम्बन्ध सरोकर लेना देना नहीं है न ही कभी कोई वास्ता सम्बन्ध सरोकार रहा है पंजीबद्ध विक्रय–पत्र खरीद के समय से प्रतिवादी/अप्रार्थी का आज दिवस तक बिना किसी रोक टोक व बाधा के लगातार अनवरत तन्हा खुद कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण/प्रार्थीगण को वादपत्र/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र वर्णित आराजीयात अप्रार्थी महादेव पुत्र रामकुँवार जाति नायक निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर के खुद कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की स्वअर्जित तन्हा आराजीयात है मौके पर खुद काबिज काश्त है जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना सम्बन्ध वास्ता सरोकार नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2023 आर0बी0जे 347 (हाई0कोर्ट0) पैरा 15, 16, 2018 आर0बी0जे 718.

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व आदेशिका का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा दिनांक 24.9.2015 को वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 7.1.2022 को वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया गया जिसकी एक प्रति वकील वादी को उपलब्ध कराई गई। प्रकरण में दिनांक 15.6.2022 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को उपलब्ध कराई जाकर शामिल मिसल की गई। प्रकरण में दिनांक 2.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्णित आराजीयात के वर्किंग जमाबन्दी के खाता नम्बर 293 खसरा नम्बर 1492 मीन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी 03 के खातेदार काश्तकार श्री गंगाराम पुत्र श्री रामकरण जाति बागरिया निवासी चापांनेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर खातेदार काश्तकार द्वारा दिनांक 11.01.1995 को अप्रार्थी श्री महादेव पुत्र श्री रामकुँवार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा पंजीबद्व विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी को विक्रय पत्र द्वारा बेचान की जा चूकी है तथा नामान्तरण संख्या 104 दिनांक 19.01.1996 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा राजस्व जमाबन्दी अभिलेख मे पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भी दर्ज किया जा चूका है। चूंकि उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1995, को अप्रार्थी महादेव पुत्र रामकुंवर जाति नायक निवासी इंद्रपुरा द्वारा गंगाराम पुत्र श्री रामकरण जाति बागरिया निवासी चापांनेरी से जरिए विक्रय पत्र के द्वारा खरीद किया गया है को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर आज दिनांक तक निरस्त नहीं करवाया गया है इसलिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावहीन नहीं समझा जा सकता है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात तात्कालीन खातेदार/काश्तकार से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा क्रय की गई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के अनुसार विक्रेता समस्त काश्तकारी अधिकारों का अवसान होकर क्रेता में निहित हो चुके है। वादीगण द्वारा अपने कथन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा वाद संख्या 183/1991 बउनवानी गोगा बनाम जेठू वगैरह दिनांक 7.12.1994 को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है परंतु वादीगण यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण से किसी प्रकार संबंधित है इसलिए उक्त निर्णय न्यायालय हाजा में किसी प्रकार से विचारणीय नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जहां तक सम्पत्ति में स्वत्व का प्रश्न है यह सिर्फ सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। चूंकि प्रार्थीगण उक्त विक्रय पत्र से व्यथित हैं तो उन्हें सर्वप्रथम उक्त विक्रय पत्र को चुनौती दी जानी चाहिए। क्योंकि जब तब उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1995 अस्तित्व में है तब तक राजस्व अभिलेख में कथित प्रविष्टियों के आधार पर यदि भूमि का कोई अंतरण होता भी है तो भूमि के वास्तविक स्वामी के पास केवल सिविल न्यायालय में उस विक्रय पत्र को चुनौती देने का ही विकल्प उपलब्ध रहता है। चूंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियां विलोपित किया जाना बिना पंजीबद्ध दस्तावेज अर्थात विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराए संभव नहीं है। जिस हेतु अपीलांट सिविल न्यायालय में अपने हक अधिकारों के लिए चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन करते हुए व न्याय की मंशा व विधिनुकुल रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

08/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

,Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

गोपाल पुत्र श्री गोगा जाति धोबी निवासी ग्राम कुरथल,तहसील भिनाय,जिला अजमेर व अन्य।

बनाम

महादेव पुत्र श्री रामकुमार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 30/2023 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर मुबर्खे 02 माह 11 सन् 2022, प्रकरण संख्या 57/2015 बउनवानी रतनी बनाम महादेव वगै)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राज0काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 08 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट,श्री गौतम टांक अभिभाषक रेस्पों संख्या 01,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 02,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 02.11.2022 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 08 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner